राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

जगमार्ग

नई सोच, नई पहल

मनोहर लाल ने...03

www.jagmarg.com | फाल्गुन मास , शुक्ल पक्ष, दशमी तिथि, पुनर्वसु नक्षत्र,चंद्रमा मिथुन राशि में, विक्रमी सम्वत 2080 | हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, चंडीगढ़ और दिल्ली से प्रसारित | पृष्ठ : 12 | मूल्य : 3 रुपए | वर्ष:8 | अंक: 142 | चंडीगढ़। मंगलवार, 19 मार्च, 2024

गीता सार

अध्याय-04

जिसके संपूर्ण शास्त्रसम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञानरूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं उस महापुरुष को ज्ञानीजन भी पंडित कहते हैं।

AN ISO Co.
शक्तिशाली कीटाणु नाशक
जेट फिनाईल
9416280792

एक नजर

एयर इंडिया एक्सप्रेस 360 से अधिक दैनिक उड़ानों का परिचालन करेगी

नई दिल्ली। एयर इंडिया एक्सप्रेस ग्रीष्मकालीन सारणी के दौरान 360 से अधिक दैनिक उड़ानें संचालित करेगी। एयरलाइन इस दौरान अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में 20 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि करेगी। एयरलाइन एआईएक्स कनेक्ट (पूर्व में एयरएशिया इंडिया) के साथ विलय को पूरा करने की प्रक्रिया में है और सारिणी में दोनों एयरलाइन की उड़ानें शामिल हैं। टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस ने सोमवार को कहा कि वह ग्रीष्मकालीन सारिणी में प्रतिदिन 360 उड़ानों का परिचालन करेगी। पिछले साल की ग्रीष्मकालीन सारिणी की तुलना में इस साल घरेलू उड़ानें 25 प्रतिशत ज्यादा जबकि अंतरराष्ट्रीय उड़ानें 20 प्रतिशत ज्यादा होंगी।

नियमित जमानत याचिका खारिज होने के बाद तिहाड़ जेल लौटे सत्येंद्र जैन

नई दिल्ली। दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री एवं आम आदमी पार्टी (आप) नेता सत्येन्द्र जैन धनशोधन मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा नियमित जमानत याचिका खारिज किये जाने के कुछ ही घंटे बाद तिहाड़ जेल लौट आये। एक जेल अधिकारी ने कहा, जैन शाम को तिहाड़ जेल पहुंचे। उन्हें जेल में रखने की औपचारिक प्रक्रिया जारी है। जैन जेल में आत्मसमर्पण करने के लिए शाम करीब छह बजे उत्तर पश्चिम दिल्ली के सरस्वती विहार स्थित अपने आवास से निकले। शीर्ष अदालत ने जैन के वकील के उस मौखिक अनुरोध को खारिज कर दिया, जिसमें उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए एक सप्ताह का समय देने का अनुरोध किया गया था।

केजरीवाल जल बोर्ड से जुड़े धनशोधन मामले में ईडी के सामने पेश नहीं हुए

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली जल बोर्ड में कथित अनियमितताओं से जुड़े धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समन पर सोमवार को उसके सामने पेश नहीं हुए। वहीं आम आदमी पार्टी (आप) ने समन को गैरकानूनी बताया और केंद्र की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार पर केजरीवाल को निशाना बनाने और उन्हें लोकसभा चुनाव में प्रचार करने से रोकने के लिए ईडी का 'इस्तेमाल' करने आरोप लगाया। पार्टी ने आरोप लगाया, समन अवैध है। भाजपा ईडी का इस्तेमाल करके लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती है।

चुनावी बॉण्ड पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, 21 तक एसबीआई से मांगी सारी जानकारी

न्यायालय ने तीसरी बार भारतीय स्टेट बैंक को लगाई फटकार

एजेंसी

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को तीसरी बार भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को फटकार लगाते हुए उसे मनमाना रवैया न अपनाने और 21 मार्च तक चुनावी बॉण्ड योजना से संबंधित सभी जानकारियों का 'पूरी तरह खुलासा' करने को कहा।

उच्चतम न्यायालय ने चुनावी बॉण्ड से संबंधित सभी जानकारियों का खुलासा करने को कहा जिसमें विशिष्ट बॉण्ड संख्याएं भी शामिल हैं जिससे खरीददार और प्राप्तकर्ता राजनीतिक दल के बीच राजनीतिक संबंध का खुलासा होगा। भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पांच सदस्यीय पीठ ने कहा कि इसमें 'कोई संदेह नहीं' है कि एसबीआई को बॉण्ड की सभी जानकारियों का पूरी तरह खुलासा करना होगा। पीठ में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल हैं। पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग एसबीआई से जानकारियां मिलने के बाद अपनी वेबसाइट पर तुरंत इन्हें अपलोड करे। पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने 15 फरवरी को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए केंद्र की चुनावी बॉण्ड योजना को रद्द कर दिया था और इसे 'असंवैधानिक' करार देते हुए निर्वाचन आयोग को चंदा देने वालों, चंदे के रूप में दी गई राशि और प्राप्तकर्ताओं का 13 मार्च तक खुलासा करने का आदेश दिया था। उच्चतम न्यायालय ने 11 मार्च को एसबीआई को बड़ा झटका देते हुए चुनावी बॉण्ड संबंधी जानकारी का खुलासा करने के लिए समयसीमा बढ़ाने का अनुरोध करने वाली उसकी याचिका खारिज कर दी थी और उससे पूछा था कि उसने अदालत के निर्देश के अनुपालन के लिए क्या कदम उठाए हैं। बीते शुक्रवार को न्यायालय ने देश के सबसे बड़े बैंक को अपने निर्देशों के अनुपालन में विशिष्ट अक्षरांकीय संख्या (यूनीक अल्फा-न्यूमेरिक नंबर) का खुलासा न करने के लिए 'कारण बताओ' नोटिस जारी किया था।

कहा, हमारे कंधे काफी चौड़े हैं

नई दिल्ली। चुनावी बॉण्ड संबंधी मामलों पर उच्चतम न्यायालय के आदेशों के बाद उसे 'शर्मिंदा' करने के इरादे से सोशल मीडिया पर साझा की गई पोस्ट का मामला उठाए जाने पर शीर्ष अदालत ने कहा कि एक संस्था के रूप में 'हमारे कंधे काफी चौड़े' हैं। चुनावी बॉण्ड मामले की सुनवाई कर रही पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ की अगुवाई कर रहे प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि जब कोई अदालत फैसला सुनाती है तो वह निर्णय चर्चा के लिए राष्ट्र की संपत्ति बन जाता है। पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत की चिंता केवल अपने 15 फरवरी के फैसले में दिए गए निर्देशों को लागू करने को लेकर है। संविधान पीठ ने 15 फरवरी को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए केंद्र की चुनावी बॉण्ड योजना को रद्द कर दिया था।

एसोचैम, सीआईआई की दलीलों पर विचार करने से इनकार

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को उद्योग मंडल एसोचैम और भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) की याचिका सूचीबद्ध नहीं होने के कारण चुनावी बॉण्ड विवरण के खुलासे के खिलाफ उनकी दलीलों पर विचार करने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने कहा कि 12 अप्रैल, 2019 से पहले चुनावी बॉण्ड के विवरण का खुलासा करने का आदेश न देना संविधान पीठ का एक 'सचेत विकल्प' था।

मुख्यमंत्री सैनी की नियुक्ति के खिलाफ दायर याचिका पर नोटिस

जगमार्ग ब्यूरो

चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के नवनियुक्त मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की नियुक्ति के खिलाफ दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

हाईकोर्ट के जस्टिस जीएस संधावालिया व जस्टिस लुपिता बनर्जी पर आधारित खंडपीठ ने केंद्र, हरियाणा व विधान सभा स्पीकर व मुख्य चुनाव आयुक्त को नोटिस जारी कर इस मामले में जवाब दायर करने का आदेश दिया। हाई कोर्ट के वकील जगमोहन सिंह भट्टी द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि सैनी की नियुक्ति नियमों के खिलाफ है। याचिका में हरशरण वर्मा बनाम उत्तर प्रदेश व अन्य मामले का हवाला देकर कहा गया कि राज्यपाल अनुच्छेद 164 के तहत किसी ऐसे व्यक्ति को मंत्री पद पर नियुक्त नहीं कर सकते, जो विधानसभा का सदस्य न हो। याचिका में आरोप लगाया गया कि सैनी अभी सांसद हैं और नियुक्ति में संवैधानिक नियमों की अवहेलना की गई है। याचिका में कहा गया कि सैनी की नियुक्ति नहीं बल्कि इंस्टालेशन (स्थापित करना) की गई है जो संविधान के अनुरूप नहीं है।याचिका में आरोप लगाया गया कि सैनी अभी सांसद हैं और हरियाणा विधानसभा के सदस्यों की संख्या 90 है, ऐसे में अगर सदन के नेता के नाते सैनी विधानसभा में उपस्थिति रहते हैं तो यह संख्या 91 हो जाएगी। याचिका में केंद्र सरकार, नायब सिंह सैनी व शपथ लेने वाले सभी पांच मंत्रियों को प्रतिवादी बनाया गया है। बहस के दौरान हरियाणा सरकार की तरफ से पक्ष रख कर बताया गया कि मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री पद से बल्कि विधानसभा से इस्तीफा भी दे दिया है, ऐसे में अब विधानसभा में 90 सदस्य ही हैं। कोर्ट को कई अन्य मामलों का हवाला देकर भी बताया गया जहां विधायक न होते हुए भी मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए थे।

हाईकोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष, केंद्र और मुख्य चुनाव आयुक्त को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

नफरती भाषण और विरोधियों पर निजी हमलों से बचें: सिबिन सी

पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को चुनाव प्रक्रिया की दी जानकारी

जगमार्ग न्यूज

चंडीगढ़। पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी सिबिन सी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि वे लोक सभा चुनाव के प्रचार के दौरान नफरती भाषण, धार्मिक या जाति के आधार पर वोट मांगने तथा विरोधियों पर निजी हमलों से बचें। वे लोक सभा मतदान-2024 के जरूरी पहलुओं से अवगत करवाने के लिए राज्य की प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर रहे थे। बैठक के दौरान मुख्य चुनाव अधिकारी ने इस दौरान सिबिन सी ने राजनीतिक प्रतिनिधियों को आदर्श चुनाव आचार संहिता के मुख्य उपबंधों की रूपरेखा के बारे में भी बताया। उन्होंने अपील की कि राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों को नफरत भरे भाषण, धार्मिक या जाति आधारित वोट मांगने, विरोधियों पर निजी हमलों या गैर- प्रमाणित रिपोर्टों के आधार पर आलोचना से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि मीटिंगों और अन्य समागमों के आयोजनों के लिए जिला अधिकारियों से पहले ही मंजूरी ले लें।

हिमाचल के छह बागियों को नहीं मिली उच्चतम न्यायालय से राहत

मामले में कोर्ट ने स्पीकर, सरकार और चुनाव आयोग को भेजे नोटिस, चार सप्ताह में जवाब देने को कहा

एजेंसी/जगमार्ग न्यूज

नई दिल्ली/शिमला। उच्चतम न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश में हाल में हुए राज्यसभा चुनाव में 'क्रॉस-वोटिंग' करने वाले कांग्रेस के छह बागी विधायकों को अयोग्य करार देने के विधानसभा अध्यक्ष के आदेश पर रोक लगाने से सोमवार को इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने हिमाचल प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया के कार्यालय को नोटिस जारी किया और उससे चार सप्ताह में याचिका पर जवाब देने को कहा। पीठ ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के बागी विधायकों की याचिका लंबित रहने तक उन्हें विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने या वोट देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उसने कहा, 'छह रिक्त सीटों पर उपचुनाव के संबंध में हम यह देखेंगे कि क्या याचिका के लंबित रहने के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित चुनाव को रोका जाना चाहिए।'उच्चतम न्यायालय ने मामले पर अगली सुनवाई के लिए छह मई की तारीख तय की और बागी विधायकों को अपना जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का वक्त दिया। विधानसभा की छह रिक्त सीटों के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया सात मई को शुरू होगी।

संबंधित खबर पेज-4 पर

व्लादिमीर पुतिन ने रिकॉर्ड मतों से रूस का राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता

एजेंसी

मॉस्को। व्लादिमीर पुतिन लगातार पांचवीं बार रूस के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने करीब 88 प्रतिशत वोटों के साथ चुनाव में जीत दर्ज की है। रूस के केंद्रीय चुनाव आयोग ने सोमवार को कहा कि देश में हुए राष्ट्रपति पद के चुनाव में व्लादिमीर पुतिन ने जीत दर्ज की है।

उन्होंने रिकॉर्ड वोट पर्सेंटेज के साथ राष्ट्रपति पद का पांचवां कार्यकाल हासिल किया है। 71 साल के पुतिन 1999 से एक बार भी चुनाव नहीं हारे। रूस के केंद्रीय चुनाव आयोग ने सोमवार को कहा कि करीब 100 फीसदी क्षेत्रों में पड़े मतों की गिनती कर ली गई है और पुतिन को 87.29 फीसदी वोट मिले हैं। आयोग की प्रमुख एला पैम्फिलोवा ने कहा कि पुतिन के लिए करीब 7.6 करोड़ लोगों ने मतदान किया है, जो उन्हें हासिल अब तक के सबसे ज्यादा वोट हैं. ये चुनाव में पुतिन की जीत देश की राजनीतिक व्यवस्था पर उनके नियंत्रण को रेखांकित करती है। पुतिन के सामने नाममात्र के सिर्फ तीन उम्मीदवार थे। यूक्रेन युद्ध का विरोध करने वाले किसी भी व्यक्ति को पुतिन के खिलाफ चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी गई थी।

मोदी ने राष्ट्रपति बनने पर पुतिन को बधाई दी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को फिर से रूस का राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर व्लादिमीर पुतिन को बधाई दी और कहा कि वह आने वाले वर्षों में दोनों देशों के बीच समय की कसौटी पर खरी उतरी विशेष एवं विशेषाधिकृत रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने को उत्सुक हैं।

वैज्ञानिकों ने इबोला वायरस के प्रजनन के तरीके का पता लगाया

एजेंसी

नई दिल्ली। वैज्ञानिकों ने मानव शरीर में इबोला वायरस के प्रजनन के तौर-तरीके का पता लगाया है जिससे इस बीमारी की रोकथाम के वास्ते संभावित दवा का मार्ग प्रशस्त हुआ है। यह अध्ययन इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि कैसे यह घातक वायरस यूबीक्यूटिन नामक मानव प्रोटीन के साथ क्रिया करता है।

इस वायरस का सबसे अधिक प्रकोप अफ्रीका के उपसहारा क्षेत्र में देखा गया है। इस अध्ययन के सह लेखक कनाडा स्थित मांट्रियल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर राफेल नाजमानोविच ने कहा कि हमने इबोला वायरस के वीपी 35 प्रोटीन और यूबीक्यूटिन के बीच संबंध का परीक्षण करने के लिए प्रयोगात्मक एवं कंप्यूटरीकृत प्रविधियों का साथ साथ इस्तेमाल किया।' उन्होंने कहा, '' हमारी टीम द्वारा अपनायी गयी उन्नत कंप्यूटरीकृत मॉडलिंग से मानव कोशिकाओं में प्रोटीन वीपी 35 और यूबीक्यूटिन श्रृंखला के बीच संयोजन के बारे में अनुमान प्राप्त हुआ और ऐसे संभावित रासायनिक यौगिकों की पहचान हो पायी जो उनके बीच क्रिया में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं।' इबोला एक प्रकार का रक्तस्रावी बुखार है जो इबोला वायरस की विभिन्न प्रजातियों की वजह से होता है।

दवा की खोज में मदद की उम्मीद

जोड़ों के दर्द के लिए नए-नए प्रयोग छोड़ो
सबसे विश्वनीय डा. ऑर्थो तेल से नाता जोड़ो
Dr. Juneja's
डा.ऑर्थो®
Ayurvedic Oil, Capsules, Spray & Ointment

क्या आप जानते हैं? बेहतर परिणाम के लिए डा. ऑर्थो तेल को जानू बस्ती थेरेपी में इस्तेमाल करने का तरीका

जानू बस्ती थेरेपी क्या है

वैसे तो घुटनों में दर्द के उपचार के लिए अनेकों प्रकार की दवाइयां, थेरेपी एवं सर्जरी के विकल्प मौजूद हैं, लेकिन इन्हीं में से एक है जानू बस्ती थेरेपी, जोकि ख़ासतौर पर घुटनों में होने वाले दर्द की समस्या को ठीक करने में सहायता करती है।

जानू बस्ती थेरेपी कैसे करनी चाहिये

इस थेरेपी को करने के लिए रोगी को सीधा लेटाया जाता है। फिर बेसन या चने के आटे को पर्याप्त मात्रा में पानी के साथ गूँथ लें, घुटनों के चारों ओर गुंथे हुए आटे की मोटी दीवार बनाएं। इसके बाद डा. ऑर्थो आयुर्वेदिक तेल को अच्छी मात्रा में इसमें भरें। रोगी स्थिर रहें एवं 15 से 20 मिनट तक डा. ऑर्थो तेल ऐसे ही भरा रहने दें। बेहतर परिणाम के लिए इस तेल को दोबारा प्रयोग में न लाएं एवं नए तेल का प्रयोग करें।

जानू बस्ती थेरेपी कैसे काम करती है

आयुर्वेद में तेल को वात दोष शांत करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। यह वात दोष के कारण पैदा होने वाली जोड़ों की तकलीफों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस पद्धति में डा. ऑर्थो आयुर्वेदिक तेल को अच्छी मात्रा में घुटनों पर स्थिर रखा जाता है और इस तुलना में यह घुटनों के ऊतकों में प्रवेश कर गतिशीलता बढ़ाने में सहायता करता है। बार-बार ऐसा करने पर जोड़ों के ऊतकों को बल मिलता है। यह प्रक्रिया हर सप्ताह एक से दो बार की जा सकती है।

24x7 Helpline: 78769 77777 | www.drorthooil.com
Available at all medical & general stores

पलटवार | पीएम ने विपक्षी गठबंधन पर हिन्दू धर्म में समाहित 'शक्ति' के विनाश के ऐलान का आरोप लगाया

'शक्ति' पर वार का मतलब देश की माताओं-बहनों पर वार: मोदी

एजेंसी

शिवमोगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी गठबंधन 'इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस' (इंडिया) पर हिन्दू धर्म में समाहित 'शक्ति' के विनाश का ऐलान करने का आरोप लगाते हुए सोमवार को कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में नारी और शक्ति का हर उपासक उसे इसका जवाब देगा।

यहां एक रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा, 'मुंबई में इंडी गठबंधन की तरफ से एक खुला ऐलान किया गया है। वे लोग हिंदू धर्म में समाहित शक्ति को समाप्त करना चाहते हैं। हिंदू समाज जिन्हें शक्ति मानता है, उस शक्ति के विनाश का उन्होंने ऐलान कर दिया है। अगर शक्ति विनाश का उनका ऐलान है तो शक्ति उपासना का मेरा भी ऐलान है।' कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' के समापन के अवसर पर मुंबई के शिवाजी पार्क में आयोजित एक रैली में कहा था, 'हिन्दू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं...एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है कि वह शक्ति क्या है? जैसे किसी ने यहां कहा कि राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है...सही है कि राजा की आत्मा ईवीएम में है... हिंदुस्तान की हर संस्था में है। ईडी में है, सीबीआई में है, आयकर विभाग में में है।'न्होंने किसी नेता का नाम लिए बिना कहा कि इसी प्रदेश (महाराष्ट्र) के एक वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी छोड़ते हैं, और उनकी मां सोनिया गांधी से 'रो कर' कहते हैं कि 'मेरे में इन लोगों से... इस शक्ति से लड़ने की हिम्मत नहीं है।

जिस शक्ति की बात की उसके मुखौटा हैं पीएम: राहुल

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने 'शक्ति' वाले बयान पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हमले को लेकर उनपर पलटवार करते हुए सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री ने उनकी बातों का अर्थ बदलने की कोशिश की है, जबकि उन्होंने जिस शक्ति का उल्लेख किया था, उसका 'मुखौटा' मोदी खुद हैं। उन्होंने यह दावा भी किया कि जिस शक्ति के खिलाफ वह लड़ने की बात कर रहे हैं, उसने सभी संस्थाओं और संवैधानिक ढांचे को अपने चंगुल में दबोच लिया है। राहुल गांधी ने सोमवार को 'एक्स' पर पोस्ट किया, 'मोदी जी को मेरी बातें अच्छी नहीं लगतीं, किसी न किसी तरह उन्हें घुमाकर वह उनका अर्थ हमेशा बदलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि मैंने एक गहरी सच्चाई बोली है। जिस शक्ति का मैंने उल्लेख किया, जिस शक्ति से हम लड़ रहे हैं, उस शक्ति का मुखौटा मोदी जी हैं। 'उन्होंने कहा कि वह एक ऐसी शक्ति है, जिसने आज, भारत की आवाज को, भारत की संस्थाओं को, सीबीआई, आयकर विभाग, ईडी, चुनाव आयोग, मीडिया, भारत के उद्योग जगत, और भारत के समूचे संवैधानिक ढांचे को ही अपने चंगुल में दबोच लिया है।' कांग्रेस नेता ने दावा किया, 'उसी शक्ति के लिए नरेन्द्र मोदी जी भारत के बैंकों से हजारों करोड़ के कर्ज माफ कराते हैं, जबकि भारत का किसान कुछ हजार रुपयों का कर्ज न चुका पाने पर आत्महत्या करता है। उसी शक्ति को भारत के बंदरगाह, भारत के हवाई अड्डे दिये जाते हैं, जबकि भारत के युवा को अग्निवीर का तोहफा दिया जाता है जिससे उसकी हिम्मत टूट जाती है।' उन्होंने यह आरोप लगाया, ''उसी शक्ति को दिन रात सलामी ठोकते हुए देश की मीडिया सच्चाई को दबा देती है। उसी शक्ति के गुलाम नरेन्द्र मोदी जी देश के गरीब पर जीएसटी थोपते हैं, महंगाई पर लगाम न लगाते हुए, उस शक्ति को बढ़ाने के लिए देश की संपत्ति को नीलाम करते हैं।'